न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट), संत कबीर नगर।

अन्तिम रिपोर्ट संख्या–0090/2019

UPSK010006702022

कुलसुम बनाम मो0 शहबान

अपराध संख्या–0352/2021

धारा–376, 452, 504, 506 भा0द0वि0 व 5/6 पाक्सो एक्ट

थाना–बखिरा, जिला–सन्त कबीर नगर।

17.06.2026

पत्रावली पेश हुई।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली में विगत कई तिथियों से बार–बार पुकार कराये जाने पर वादिनी/पीड़िता की ओर से कोई उपस्थित नहीं आ रही है, न ही उसके अधिवक्ता आ रहे हैं और न ही कोई मोहलत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस हेतु वादिनी/पीड़िता को पूर्व में अन्तिम अवसर भी दिया जा चुका है।

प्रस्तुत प्रकरण में मु0अ0सं0–0352/2021, अन्तर्गत धारा–376, 452, 504, 506 भा0द0वि0 व धारा–5/6 पाक्सो एक्ट, थाना–बखिरा,जनपद–संत कबीर नगर में वादिनी मुकदमा/पीड़िता कुलसुम पुत्री मो0 उस्मत अली द्वारा दर्ज कराये गये अभियोग में मामले के विवेचक द्वारा अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित किये जाने पर, न्यायालय द्वारा वादी मुकदमा को प्रासेस निर्गत किया गया है, जो पूर्व की तिथियों पर वादिनी/पीड़िता पर बजात खास तामील भी किया गया है, बावजूद इसके विवेचक द्वारा प्रेषित उक्त अन्तिम आख्या के विरूद्ध आपत्ति दाखिल करने हेतु विगत कई तिथियों से वादिनी/पीड़िता न्यायालय के समक्ष उपस्थित आ रही हैं। पिछले तिथि पर भी वादिनी/पीड़िता को आपत्ति दाखिल करने हेतु अन्तिम अवसर भी दिया जा चुका है। मामला प्राचीन है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रकरण में थाना–बखिरा की पुलिस द्वारा प्रेषित अन्तिम आख्या स्वीकार किये जाना, न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

मुकदमा अपराध संख्या–0352/2021, अन्तर्गत धारा–अन्तर्गत धारा–376, 452, 504, 506 भा0द0वि0 व धारा–5/6 पाक्सो एक्ट, थाना–बखिरा,जनपद–सन्त कबीर नगर के मामले में विवेचक द्वारा प्रेषित अन्तिम आख्या दिनांकित–13.03.2022 स्वीकार किया जाता है। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली नियमानुसार दाखिल–दफ्तर हो।

(कृष्ण कुमार–V)

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट),

संत कबीर नगर।

17.06.2026

Digitally signed by KRISHNA KUMAR
Date: 2026.06.17 16:32:27 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court